U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
12th Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001
यू0 पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
12वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001
CIN-U31901UP1985SGC007135

संख्याः I/49378/2026 PAUPRV-HR0REFO(R036)/1/2026 Comp.No.106429
दिनांकः 24-04-2026

मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/जवाहरपुर/हरदुआगंज तापीय परियोजना
यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
सोनभद्र/सोनभद्र/झांसी/कानपुर/एटा/अलीगढ़।

विषयः- उ0प्र0 सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 में उ0प्र0 शासन द्वारा किये गये संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में कार्यरत कार्मिकों हेतु 'उ0प्र0 सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956' यथा संशोधनों सहित लागू है। उपरोक्त के दृष्टिगत उ0 प्र0 शासनादेश सं0: 191/सैंतालिस-का-1-2026-13(5)/1998, दिनांक 11.03.2026 द्वारा प्रख्यापित 'उ0प्र0 सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026' की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

24/04/2026

(आर0 के0 मिश्र)
अधिशासी अभियन्ता (रिफॉर्म)

संख्याः I/49378/2026 PAUPRV-HR0REFO(R036)/1/2026 Comp.No.106429 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक (का0प्रबं0 एवं प्रशा0/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
2. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), तापीय परिचालन/मानव संसाधन/वाणिज्य/ईंधन/आर0एण्ड एम0/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद नव परियोजना, उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

3. मुख्य अभियन्ता(स्तर-1/2), पी0पी0एम0एम0/न्यू कोल ब्लॉक, उ0नि0लि0, टी0सी0-46 विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता(स्तर-1/2), प्रगति इकाई, उ0नि0लि0, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक(का0एवं प्रशा0) / मुख्य अभियन्ता(परि0 एवं अनु0), जल विद्युत स्कन्ध, उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक(चिकित्सा), उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0- 01 / 03 / 04 / 05 / 06 / रिफॉर्म / टा0वा0से0 / प्रशिक्षण), उ0नि0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. उपमहाप्रबन्धक(मा0सं0-02/औ0सं0/वित्त/लेखा), उ0नि0लि0 , शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. उपमहाप्रबन्धक(का0एवं प्रशा0), जल विद्युत स्कन्ध, उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. मुख्य परियोजना प्रबन्धक(प्रगति), यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. कट फाइल।

24/04/2026

(आर0 के0 मिश्र)
अधिशासी अभियन्ता(रिफॉर्म)

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या-191/सैंतालीस-का-1-2026-13(5)/1998
लखनऊः दिनांक. 11 मार्च, 2026

दिनांक 11 मार्च, 2026 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. मीडिया सलाहकार, मा० मुख्यमंत्री जी।
10. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-5 खण्ड-क में दिनांक 11 मार्च, 2026 की तिथि में प्रकाशित करते हुए मुद्रित अधिसूचना की 1000 प्रतियां कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
विशेष सचिव ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 191/47-Ka-1-2026-13(5)/1998, dated March 11, 2026

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
KARMIK ANUBHAG-1
NOTIFICATION
Miscellaneous
No. 191/47-Ka-1-2026-13(5)/1998
Dated : Lucknow, March 11, 2026

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following Rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Servants Conduct Rules, 1956 :

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS CONDUCT (AMENDMENT) RULES, 2026

Short title and commencement 1- (1)These Rules may be called "The Uttar Pradesh Government Servants Conduct (Amendment) Rules, 2026"

(2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 21 2- In the Uttar Pradesh Government Servants Conduct Rules, 1956, hereinafter referred to as the said rules, for existing rule-21 set out in column-1 below, the rule set out in column-2 shall be substituted, namely:-

	Column-1 **Existing rule**	**Column-2** **Rule as hereby substituted**
Investment	21 (1) No Government servant shall make or permit any member of his family to make any investment likely to embarrass or influence him in the discharge of official duties. (2) If any question arises whether a security or investment is of the nature referred to in subrule(1) the decision of the Government thereon shall be final. ***Illustration*** *A District Judge shall not permit his wife or son, to open a cinema house or to purchase a share therein, in the district where he is posted and if he is transferred to a district where a member of his family has already made such an investment, he shall immediately inform his superior authority.*	21 (1) No Government servant shall make or permit any member of his family to make any investment likely to embarrass or influence him in the discharge of official duties. (2) If any question arises whether a security or investment is of the nature referred to in sub-rule(1) the decision of the Government thereon shall be final. (3) If a Government servant invests an amount exceeding six months' basic pay in stocks, shares or other investments in a calendar year, such investment shall be reported to the appropriate authority.

File No. 47-1003(099)/1/2026-कामरवि अनुभाग-1-Personnel Department (Computer No. 2011506)

Amendment Of rule 24

3- In the said rules, in existing rule-24 for existing sub-rule(2) and sub-rule(3) set out in column-1 below, the sub-rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

	Column-1 **Existing sub-rules**	**Column-2** **Sub-rules as hereby substituted**
Movable, Immovable and valuable property	24(2) A Government servant who inters into any transaction concerning any movable property exceeding in value, the amount of his basic pay for one month whether by way of purchase, sale or otherwise, shall forthwith report such transaction to the appropriate authority. Provided that no Government servant shall enter into any such transaction except with or through a reputed dealer or agent of standing, or with the previous sanction of the appropriate authority. (3) At the time of first appointment and there after at intervals of five years, every Government servant shall make to the appointing authority through the usual channel, a declaration of all immovable property owned, acquired or inherited by him or hold by him on lease or mortgage, and of shares and other investments, which may, from time to time be held or acquired by him or by his wife or by any member of his family living with, or any way dependent upon him. Such declaration should state the full particular of the property, shares and other investment.	24(2) A Government servant who inters into any transaction concerning any movable property exceeding in value, the amount of his basic pay for two months whether by way of purchase, sale or otherwise, shall forthwith report such transaction to the appropriate authority. Provided that no Government servant shall enter into any such transaction except with or through a reputed dealer or agent of standing, or with the previous sanction of the appropriate authority. (3) At the time of first appointment and there after each year, every Government servant shall make to the appointing authority through the usual channel, a declaration of all immovable property owned, acquired or inherited by him or hold by him on lease or mortgage, and of shares and other investments, which may, from time to time be held or acquired by him or by his wife or by any member of his family living with, or any way dependent upon him. Such declaration should state the full particular of the property, shares and other investment.

By Order,

Digitally signed by M DEVARAJ
Date: 11-03-2026 18:05:15

(M.Devaraj)
Principal Secretary.

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या-191/सैंतालीस-का-1-2026-13(5)/1998
लखनऊः दिनांक 11 मार्च, 2026

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-21 का प्रतिस्थापन

2- उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-21 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
लगाई हुई पूंजियां 21(1) कोई सरकारी कर्मचारी, न तो कोई पूंजी इस प्रकार स्वयं लगायेगा और न ही अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को लगाने देगा, जिससे उसके सरकारी कर्तव्यों के परिपालन में उलझन या प्रभाव पड़ने की संभावना हो। (2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या विनिधान उपनियम (1) में निर्दिष्ट स्वरूप की है अथवा नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। **उदाहरण** कोई जिला जज, उस जिले में जिसमें वह तैनात है, अपनी पत्नी या अपने पुत्र को कोई सिनेमा गृह खोलने, या उसमें कोई हिस्सा खरीदने की अनुमति नहीं देगा।	21(1) कोई सरकारी कर्मचारी, न तो कोई पूंजी इस प्रकार स्वयं लगायेगा और न ही अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को लगाने देगा, जिससे उसके सरकारी कर्तव्यों के परिपालन में उलझन या प्रभाव पड़ने की संभावना हो। (2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या विनिधान उपनियम (1) में निर्दिष्ट स्वरूप की है अथवा नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। (3) यदि कोई सरकारी कर्मचारी एक कैलेण्डर वर्ष में छह माह के मूल वेतन से अधिक की रकम स्टॉक, शेयर अथवा अन्य लगाई हुई पूंजियों (विनिधान) में विनिहित करता है तो ऐसी लगाई हुई पूंजियों (विनिधान) की सूचना समुचित प्राधिकारी को दी जाएगी।

File No. 47-1003(099)/1/2026-कामरकि अनुभाग-1-Personnel Department (Computer No. 2011506)

नियम-24 का संशोधन

3- उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम-24 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान उपनियम (2) और उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा अर्थात:-

	स्तम्भ-1 **विद्यमान उपनियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
चल, अचल तथा बहुमूल्य संपत्ति	(2) कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने **एक माह** के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई व्यवहार करता है, चाहे वह क्रय-विक्रय के रूप में सम्पादित हो या अन्यथा, तो उसे तुरन्त ही ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी के पास भेज देना चाहिए : किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी ख्यातिप्राप्त व्यापारी या अच्छी साख के अभिकर्ता (Agent) के साथ या द्वारा या समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ, इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करेगा। **(3)** प्रथम नियुक्ति के समय और तदोपरान्त हर **पांच वर्ष** की अवधि बीतने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, उचित माध्यम से, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को, ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेगा जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने खुद अर्जित किया हो या जिसे उसने दाय के रुप में पाया हो या जिसे वह पट्टा या रेहन पर रखे हो, और ऐसे हिस्सों की या अन्य लगी हुई पूंजियों की घोषणा करेगा, जिन्हें वह समय-समय पर रखे या अर्जित करे, या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गई हो या अर्जित की गई हो। इन घोषणाओं में सम्पत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूंजियों के पूरे ब्योरे दिये जाने चाहिये।	24(2) कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने **दो माह** के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई व्यवहार करता है, चाहे वह क्रय-विक्रय के रूप में सम्पादित हो या अन्यथा, तो उसे तुरन्त ही ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी के पास भेज देना चाहिए : किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी ख्यातिप्राप्त व्यापारी या अच्छी साख के अभिकर्ता (Agent) के साथ या द्वारा या समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ, इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करेगा। **(3)** प्रथम नियुक्ति के समय और तदोपरान्त हर **एक वर्ष** की अवधि बीतने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, उचित माध्यम से, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को, ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेगा जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने खुद अर्जित किया हो या जिसे उसने दाय के रुप में पाया हो या जिसे वह पट्टा या रेहन पर रखे हो, और ऐसे हिस्सों की या अन्य लगी हुई पूंजियों की घोषणा करेगा, जिन्हें वह समय-समय पर रखे या अर्जित करे, या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गई हो या अर्जित की गई हो। इन घोषणाओं में सम्पत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूंजियों के पूरे ब्योरे दिये जाने चाहिये।

आज्ञा से,
Digitally signed by M DEVARAJ
Date: 11-03-2026 18:04:49
(एम0 देवराज)
प्रमुख सचिव

File No. 47-1003(099)/1/2026-कामरवि अनुभाग-1-Personnel Department (Computer No. 2011506)